छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / 3937 /छगवेका/स्था0(A-27)/2023 नवा रायपुर, दिनांक – 10/04/23

–:: आदेश ::–

संचालक मण्डल की 29वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रम0 29.09 के पारित निर्णय एवं दिये गये निर्देश के परिपालन में छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में कार्यरत नियमित अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु संशोधित मुख्यालय के आदेश क्रमांक/छगेवका/स्था0(A-27)/2015–16/644 रायपुर दिनांक 13.01.2016 एवं समय समय पर संशोंधित के द्वारा मूल दिशा–निर्देश जारी किये गये है। जारी दिशा–निर्देशों की शर्त क्रमांक 18 में प्रबंध संचालक को नियमों में संशोधन करने की प्रदत्त शक्तियों के तहत कंडिका क्रमांक I में संशोधन दिनांक 06.12.2022 से प्रभावी करते हुये निगम कर्मियों (परिवार के आश्रित सदस्यों सहित) के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश –

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ –

01. यह दिशा निर्देश छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन चिकित्सा देयक प्रतिपूर्ति – 2013 कहलायेगें।
02. यह दिशा–निर्देश जारी दिनांक से लागू होंगे।

विस्तार तथा लागू होना –

01. निगम के नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारी/कर्मचारियों, जब वे कर्तव्य पर हो या प्रतिनियुक्ति पर हो या प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन हो या छुट्टी पर हो या निलंबनाधीन हो या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर प्रवास पर हो।
02. संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी।

यह निगम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

01. सेवानिवृत्त कर्मचारी
02. अंशकालीन कर्मचारी
03. निगम के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी
04. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

परिभाषायें –

01. कर्मचारी से अभिप्रेत है – निगम में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जो कि नियमित पद/संविदा/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षणाधीन/परीवीक्षाधीन हों।
02. परिवार – परिवार से अभिप्रेत –
    (क) निगम कर्मचारी की पत्नी या उसका पति।
    (ख) कर्मचारी के माता–पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित वयस्क पुत्र, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई, संतान/संताने एवं सौतेली संतान/संताने सम्मिलित है, जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है।
    (ग) यदि तलाकशुदा, पुत्री/पुत्रियों कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये परिवार में सम्मिलित समझा जावेगा।

क्रमशः.....2

(घ) महिला कर्मचारी के माता–पिता जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, महिला कर्मचारी के साथ साधारणतः वर्षभर निवास करते हो और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई अन्य स्त्रोत न हो। बशर्ते महिला कर्मचारी इस बाबत् घोषणा पत्र दें।

03. अधिकृत चिकित्सक से अभिप्रेत है –

(क) निगम सेवकों के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सक।

(ख) शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक।

04. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र – निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र (फार्म)।

मान्य चिकित्सालय – राज्य के भीतर/राज्य के बाहर स्थित –

01. राज्य शासन/केन्द्र शासन या स्थानीय निकाय के चिकित्सालय।

02. राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय।

03. छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु छ0ग0 शासन द्वारा तत्समय जारी नवीनतम सूची अनुसार मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय।

उपचार – उपचार से अभिप्रत है – मान्य चिकित्सालय जहॉ कर्मचारी/आश्रित का उपचार किया जा रहा हो, में उपलब्ध तथा प्रयुक्त समस्त चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा सुविधायें।

01. निजी चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान प्रत्येक निगम सेवक चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त चिकित्सा तथा/या अन्य चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा, इसमें सम्मिलित है :–

(i) रोग विज्ञान (पेथॉलॉजिकल), जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियालॉजिकल) एक्स रे, विज्ञान (रेडियोलॉजी)

(ii) ऐसी औषधियों, टीकों (वेक्सीन), सिरप तथा अन्य चिकित्सा पदार्थो की पूर्ति, जो सामान्यता चिकित्सालय में उपलब्ध है।

(iii) ऐसी परिचर्या जिसकी सामान्यतः व्यवस्था चिकित्सालय द्वारा अन्तर्वासी रोगियों (Indoor Patient) के लिये की जाती है।

(iv) रूधिराधान (खून देना)।

(v) परालीन लोहित प्रकाश (अल्ट्रावायलेट लाईट) (बिजली से सिकाई)

(vi) महिलाओं के मामले में – प्रसूति के दौरान उपचार, प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार जिनमें गर्भपात, स्त्राव उपचार तथा डूश देना शामिल है।

(vii) ऐसी अन्य सुविधाएं जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये।

02. विशेषकृत उपचार से अभिप्रेत है – छ0ग0 सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के साथ संलग्न परिशिष्ट एक के अनुसार एवं समय–समय पर छ0ग0 शासन द्वारा संशोधित। विशेषकर उपचार (चिकित्सा) के संबंध में निगम कर्मी के पेंशनर माता–पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेगें।

03. निगम के अधिकृत चिकित्सक अथवा शासकीय चिकित्सक द्वारा अनुशंसा किये जाने पर मान्य चिकित्सालय से निगम सेवक उपचार की प्रतिपूर्ति उसी राशि से तथा उसी सीमा तक प्राप्त होगी, जो नियमों में निर्धारित है।

क्रमशः.....3

(I) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की सीमा –

मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में CGHS योजना के अंतर्गत चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति :–

(अ) बाह्य रोगी (Outdoor Patient) चिकित्सा के संबंध में :–

1. चिकित्सक परामर्श शुल्क – CGHS दर की प्रतिपूर्ति
2. बाह्य औषधि खरीदी का व्यय – शत–प्रतिशत।
3. बाह्य विभिन्न टेस्ट पर व्यय – 75 प्रतिशत। (CGHS दर की पूर्ण प्रतिपूर्ति।)

(ब) अन्तः रोगी (Indoor Patient) चिकित्सा के संबंध में :–

चिकित्सक परामर्श शुल्क – CGHS दर की प्रतिपूर्ति।
औषधि खरीदी का व्यय – शत–प्रतिशत।
विभिन्न टेस्ट पर व्यय – सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति।
विभिन्न ऑपरेशन व्यय – सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति।
चिकित्सालय में रूम चार्ज – सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति।
(यदि रूम चार्ज में CGHS योजना लागू न हो तो 75%)

शासकीय चिकित्सक/चिकित्सालय/मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/अधिकृत चिकित्सकों से चिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु :–

(अ) बाह्य रोगी (Outdoor Patient) चिकित्सा के संबंध में :–

1. चिकित्सक परामर्श शुल्क – 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
2. बाह्य औषधि खरीदी का व्यय – शत–प्रतिशत।
3. बाह्य विभिन्न टेस्ट पर व्यय – 75 प्रतिशत।

(ब) अन्तः रोगी (Indoor Patient) चिकित्सा के संबंध में :–

चिकित्सक परामर्श शुल्क – 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
औषधि खरीदी का व्यय – शत–प्रतिशत।
विभिन्न टेस्ट पर व्यय – 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
विभिन्न ऑपरेशन व्यय – 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
चिकित्सालय में रूम चार्ज – 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
(शासकीय चिकित्सालय में टेस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं होने की दशा में शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के उपरांत प्रतिपूर्ति)

(स) निगम एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सक/चिकित्सालय में सीधे उपचार कराया जा सकेगा।

राज्य से बाहर के अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सालय में उपचार हेतु प्रबंध संचालक की अनुमति पश्चात् इलाज करा सकेगा।

निगम एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सक/चिकित्सालय में सीधे उपचार के देयकों की प्रतिपूर्ति संबंधित अधिकृत निजी चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सालय के विषय विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सालय के प्रमाणीकरण उपरांत देयकों की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जावेगी।

क्रमशः.....4

(द) निजी एवं शासकीय चिकित्सक/चिकित्सालय में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति के अधिकार – प्रबंध संचालक को पूर्ण अधिकार । (संचालक मण्डल की 31वीं बैठक दिनांक 24.09.2014 के ठहराव क्रं0 31.04 में संशोधित)

प्रत्येक कर्मचारी हेतु एक वित्तीय वर्ष में।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्ययों की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

(इ) चिकित्सा अग्रिम –

1. गंभीर प्रकृति की बीमारी के उपचार हेतु मान्य चिकित्सालय द्वारा दिये गये अनुमानित व्यय का अधिकतम 80 प्रतिशत की सीमा तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
2. ऐसे कर्मचारी जिन्होनें, निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, उन्हें ही चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।
3. चिकित्सा अग्रिम केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत किया जा सकेगा जहॉ रोगी का उपचार मान्य चिकित्सालय में अंतः रोगी (Indoor Patient) के रूप में कराया जा रहा है या कराया जाना हो।
4. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में रू. 30,000/– अथवा इससे अधिक एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में रू. 15,000/– अथवा इससे अधिक के अनुमानित व्यय पर, चिकित्सा अग्रिम की पात्रता होगी।
5. चिकित्सा अग्रिम राशि, संबंधित चिकित्सालय को सीधे उपलब्ध कराया जावेगा, जिसका समायोजन चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में किया जावेगा।
6. चिकित्सा अग्रिम का पूर्ण (अंतिम) समायोजन प्राप्तकर्ता कर्मचारी के द्वारा चिकित्सालय से रोगी के डिस्चार्ज होने की तारीख से 01 माह की अवधि के भीतर कराना होगा।
7. चिकित्सा अग्रिम की असमायोजित राशि, कर्मचारी के वेतन अथवा आय के अन्य स्त्रोत से वसूल की जावेगी।
8. चिकित्सा अग्रिम राशि की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी– प्रबंध संचालक पूर्ण अधिकार।

(II) <u>पति – पत्नी दोनों शासकीय सेवा मे हो तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था</u> –

जहॉ पति–पत्नी दोनों सेवा में हो तथा उनमें से एक निगम सेवा में हो तथा दूसरा केन्द्र शासन/राज्य शासन की सेवा में अथवा अन्य अर्द्धशासकीय/स्वशासी संस्थाओं (विश्वविद्यालय, बोर्ड, कार्पोरेशन) अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत हो, जहॉ उन्हें चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों में उनको सादे कागज पर यह संयुक्त घोषणा पत्र देना हो कि उनकी पत्नी/पति किस जगह सेवा में है तथा उस स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अंतर्गत चिकित्सा व्यय कौन कहॉ से प्राप्त करेगा। संयुक्त घोषणा पत्र अनुसार चिकित्सा व्यय नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। जहां तक उनके बच्चों का प्रश्न है, उनका चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा क्लेम किया जावेगा।

(III) <u>अन्य सामान्य नियम</u> –

1. देयकों में कर्मचारी का पूर्ण नाम, पद, मूलवेतन तथा पदस्थी स्थल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
2. रोगी से कर्मचारी का क्या संबंध हैं, उनका नाम, उम्र व बच्चों की क्रमवार संख्या स्पष्ट एवं रोगी का नाम देयक में आवश्यक रूप से लिखा जावे।
3. उपचार की अवधि, शुरू करने तथा समाप्ति दिनांक स्पष्ट होना चाहिए।

क्रमशः.....5

4. जो कर्मचारी/अधिकारी मुख्यालय छोड़कर अन्य स्थानों पर इलाज कराते है, उनके उक्त अवधि के अवकाश, प्रवास संबंधी जानकारी तथा स्वीकृति मय आदेश नम्बर के देयक पर अंकित होना चाहिए।

5. राज्य से बाहर इलाज कराने के पूर्व मुख्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है, जिन कर्मचारियों द्वारा राज्य से बाहर बिना अनुमति के जाकर इलाज करवाया जाएगा, उनके देयक पारित करने योग्य नहीं होंगे।

6. यदि कर्मचारी के तीन या अधिक जीवित बच्चें हो, वहॉ तीसरी संतान तथा अतिरिक्त संतान इन नियमों के अधीन प्रतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, किन्तु ऐसे तीसरी संतान के 26 जनवरी 2001 के पूर्व पैदा होने पर, वह भी इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु हकदार होगा। दूसरी प्रसूति की दशा में जुड़वा बच्चे पैदा होने पर, दोनों बच्चे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

7. माता–पिता, जो कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित है, उनके लिये प्रत्येक देयक पर स्पष्ट रूप से आश्रित का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

8. चिकित्सा देयक प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यालय में छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जावे। छः माह के पश्चात् चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

9. यदि उपचार शासकीय अस्पताल में न करवाया जाकर, डॉक्टर के निवास/रोगी के निवास पर हुआ है, तो देयक पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर उनके घर पर या क्लीनिक पर दिखाया गया है।

10. चिकित्सा देयकों में डॉक्टर के पर्चे तथा क्रय की गई दवाईयों के केशमेमों दिनांक में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि उपचार के दिनांक से 24 घण्टे के अंदर–अंदर दवाईयॉ क्रय कर ली जानी चाहिए। दिनांक की भिन्नता होने पर दवाईयों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।

11. जिस कर्मचारी/अधिकारी का चिकित्सा देयक शंकास्पद होगा, उससे देयक के साथ–साथ दवाईयों के रेपर/कन्टेनर भी निगम द्वारा मांगे जा सकते हैं। अतः दवाईयों के रेपर/कन्टेनर चिकित्सा देयकों के भुगतान होने तक सुरक्षित रखें।

12. विलोपित।

13. विलोपित।

14. राज्य के अंदर ही आपात स्थिति में उपचार आवश्यक होने पर शासकीय अथवा निगम के अधिकृत चिकित्सक की अनुशंसा अथवा उनके तत्काल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राईवेट चिकित्सा आवश्यक होने पर तत्काल मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करें। यदि आपात स्थिति में चिकित्सा आवश्यक है एंव समय अभाव को देखते हुए विलंब होने की संभावना है, तो तत्संबंध में संबंधित कर्मचारी के द्वारा, घटनाक्रम के बारे में, निगम के किसी भी अधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाये, ताकि वास्तविकता की पूर्व से ही जानकारी मिल सके।

15. अन्य चिकित्सा जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी एवं बायोकेमिक सिस्टम के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति निर्धारित नियमों के तहत की जायेगी।

16. चिकित्सा प्रतिपूर्ति निगम के नियमित एवं संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी।

क्रमशः.....6

17. निगम सेवक पर, आश्रित उसके परिवार के सदस्य यदि शिक्षा, इलाज या अन्य सुविधा की दृष्टि से निगम सेवक के साथ मुख्यालय पर न रहकर अन्यंत्र निवास करता हो तो भी उनके चिकित्सीय व्यय देयक की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जावेगी।

18. निर्देशों में संशोधन करने की शक्ति – प्रबंध संचालक समय–समय पर आवश्यकतानुसार उक्त निर्देशों में संशोधन कर सकेगें।

19. जहॉ निगम के दिशा–निर्देश स्पष्ट नहीं है, वहॉ छ0ग0 सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम मान्य होंगे।

20. विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित कर्मचारी के साथ आकस्मिक दुर्घटना या गंभीर बीमार होने पर बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सक/चिकित्सालय में मजबूरी वश एडमिट किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति के देयक संचालक मण्डल में रखकर भुगतान किये जाने हेतु प्रबंध संचालक को पूर्ण अधिकार।

प्रबंध संचालक
6/5/2023

क्रमांक/ 3937 /छगवेका/स्था0(A-27)/2023 नवा रायपुर, दिनांक – 10/5/23

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित :–

01. निज सहायक, मान0 अध्यक्ष, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
02. निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
03. संयुक्त संचालक (वित्त), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
04. प्रबंधक (कार्मिक/वाणिज्य/लेखा/वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर।
05. नोडल (आई0टी0), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर को निर्देशित है, कि उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
06. समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
07. मास्टर नस्ती हेतु।
08. नोटिस बोर्ड पर चस्पा।

प्रबंध संचालक
6/5/2023